

आपको एन्हेंस्ड प्रतिनिधित्व समझौते (सेक्शन 9) में प्रतिनिधि बनने के लिए क्या जानने की आवश्यकता है



3 का भाग 2: यह उन लोगों के लिए मार्गदर्शिका है, जिन्हें ब्रिटिश कोलंबिया में कानूनन वैकल्पिक निर्णयकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

इस मार्गदर्शिका में उन लोगों के लिए जानकारी शामिल है, जिन्हें ब्रिटिश कोलंबिया, कैनेडा में, परिवारजन या दोस्त द्वारा प्रतिनिधि या वैकल्पिक प्रतिनिधि बनने के लिए कहा गया है और उन्हें इसके लिए **एन्हेंस्ड प्रतिनिधित्व समझौते** (कभी-कभी इसे सेक्शन 9 प्रतिनिधित्व समझौता भी कहा जाता है) के अधीन नियुक्त किया गया है।

ब्रिटिश कोलंबिया के कानून में दूसरी प्रकार का भी प्रतिनिधित्व समझौता है जिसे स्टैंडर्ड प्रतिनिधित्व समझौता या सेक्शन 7 प्रतिनिधित्व समझौता कहा जाता है। **इस दस्तावेज में स्टैंडर्ड प्रतिनिधित्व समझौते (सेक्शन 7) से संबंधित जानकारी नहीं है।**

इस मार्गदर्शिका में इस बारे में जानकारी शामिल है:

- 1 आपकी भूमिका
- 2 आपकी भूमिका के लिए तैयारी
- 3 व्यक्ति के लिए फैसला लेना
- 4 आपके अधिकार
- 5 आपके उत्तरदायित्व

(किसी भी प्रश्न पर सीधे जाने के लिए ऊपर क्लिक करें)

यह इसके साथ का दस्तावेज है:

- आपको एन्हेंस्ड प्रतिनिधित्व समझौते के लिए क्या कुछ जानने की आवश्यकता है, जो एन्हेंस्ड प्रतिनिधित्व समझौतों का विवरण देता है और यह भी जानकारी देता है कि इसे कैसे तैयार करना है।
- ब्रिटिश कोलंबिया सरकार के प्रतिनिधित्व समझौते (सेक्शन 9) के फॉर्म की एक निर्देशित यात्रा, जो ब्रिटिश कोलंबिया सरकार द्वारा तैयार किए गए फॉर्म को भरने के लिए इसके हर भाग को अच्छी तरह समझाती है ताकि लोग इसे पूरा कर सकें।



1 आपकी भूमिका

जब आपको प्रतिनिधित्व समझौते के अधीन नियुक्त किया जाता है तो आप “प्रतिनिधि” कहलाते/कहलाती हैं।

प्रतिनिधि के रूप में आप जिसका प्रतिनिधित्व करते/करती हैं, यदि वह अस्थाई या स्थाई रूप से अपने फैसले लेने में असमर्थ है तो आपको उसके स्वास्थ्य और निजी देखभाल संबंधी फैसले लेने का कानूनी अधिकार है।

स्वास्थ्य देखभाल संबंधी फैसले व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, जांच, उपचार और प्रक्रियाओं के बारे में होते हैं जैसे सर्जरी, दवाएं और टीके आदि।

निजी देखभाल संबंधी फैसले व्यक्ति के दैनिक जीवन के बारे में हैं, जैसे वह कहां रहता है, उसका आहार, पहनने के कपड़े, स्वच्छता और गतिविधियां।

प्रतिनिधि जो फैसला ले सकता/सकती है या नहीं ले सकता/सकती, के बारे में और जानकारी इस दस्तावेज में दी गई है: “एन्हेंस्ड प्रतिनिधित्व समझौते के बारे में आपको क्या जानने की आवश्यकता है।”



फैसले लेने में असमर्थ होना, **अयोग्य** होना कहलाता है। अयोग्यता बीमारी, चोट या अपंगता के कारण हो सकती है। यह अस्थाई या स्थाई हो सकती है।

योग्य होने का अर्थ यह है कि आपको प्रदान की गई सारी जानकारी आप समझते/समझतीं हैं और फैसले ले सकते/सकतीं हैं। किसी व्यक्ति को तब तक योग्य माना जाता है, जब तक इसके अन्यथा सोचने का कोई कारण हो। अयोग्यता हेल्थ-केयर प्रोवाइडर द्वारा निर्धारित की जाती है। यह फैसला विशिष्ट है।

कृपया ध्यान दें: सभी को अपने स्वास्थ्य देखभाल संबंधी फैसलों को बताने में समर्थन पाने और सहायता लेने का अधिकार है। उदाहरण के लिए: यदि कोई व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है, तो सहायता का माध्यम दुभाषिया हो सकता/सकती है। यदि कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, तो वह सिर हिलाकर और शरीर की भाषा का उपयोग करके अपनी बात बता सकता है। सहायता के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो समझता हो कि वह अपनी बात कैसे करता/करती है।

ऐसा नहीं कि योग्यता सब कुछ ही है या कुछ भी नहीं। व्यक्ति की योग्यता कम या आंशिक हो सकती है और बदल भी सकती है। कम योग्यता वाला कोई व्यक्ति कुछ फैसले लेने में योग्य हो सकता है, लेकिन सभी नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी समझ रखता है।

एन्हेंस्ड प्रतिनिधित्व समझौते में जीवन-समर्थक और जीवन काल को बढ़ाने वाले उपचारों से संबंधित फैसले होते हैं। परन्तु यह किसी को वित्तीय और कानूनी फैसलों के लिए कोई व्यक्ति चुनने की अनुमति नहीं देता। इसके लिए एन्ड्युरिंग पॉवर ऑफ अटॉर्नी या स्टेंडर्ड प्रतिनिधित्व समझौते का उपयोग किया जा सकता है।

प्रतिनिधित्व समझौते में एक प्रतिनिधि का नाम लिखा हो सकता है। या एक से अधिक प्रतिनिधियों के नाम लिखे हो सकते हैं और इसमें यह भी लिखा हो सकता है कि वह सभी एक साथ कैसे काम करेंगे। इसमें एक से अधिक वैकल्पिक प्रतिनिधियों के नाम भी हो सकते हैं, जो उस समय काम करेंगे, जब आपके प्रतिनिधि काम न कर सकें।

अपनी भूमिका निभाने के लिए, आपको व्यक्ति के स्वास्थ्य देखभाल और निजी देखभाल संबंधी उसके मूल्यों, धारणाओं और इच्छाओं का पता होना चाहिए।

② अपनी भूमिका के लिए तैयारी

व्यक्ति से उसकी इच्छाओं के बारे में बात करें

प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने उस व्यक्ति से स्वास्थ्य देखभाल और निजी देखभाल संबंधी उसके मूल्यों, धारणाओं और इच्छाओं के बारे में बात की है, जिसने आपको इसके लिए नियुक्त किया है।

इस बातचीत में आपकी सहायता के लिए कई साधन उपलब्ध हैं। [ACP Resources]

आप जिस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके लिए अपने/अपनी हेल्थ-केयर प्रोवाइडर से बातचीत में आपको शामिल करना सहायक हो सकता है, ताकि आप उसके स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से समझ सकें।



बातचीत जारी रखें

बातचीत जारी रखना और नियमित अंतराल पर व्यक्ति की इच्छाओं पर पुनर्विचार करना बहुत आवश्यक है (उदाहरण के लिए वर्ष में एक बार) या यदि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य या निजी स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो यह पुनर्विचार अधिक बार करने की आवश्यकता है।

3 व्यक्ति के लिए फैसला लेना

यदि व्यक्ति को स्वास्थ्य या निजी देखभाल संबंधी फैसला लेने की आवश्यकता है लेकिन वह फैसला लेने में असमर्थ है, तो आपकी भूमिका उसकी ओर से यह फैसला लेने की है। उसकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति और इससे संबंधित फैसलों को समझने के लिए उसके हेल्थ-केयर प्रोवाइडर से बात करें।

आपको उस व्यक्ति को अधिक से अधिक बातचीत में शामिल करना चाहिए। इसका अर्थ यह हो सकता है कि उसकी योग्यता अनुसार उसको फैसले लेने में सहायता करना या उसकी वर्तमान इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रश्न पूछना।

यदि किसी फैसले के बारे में व्यक्ति की इच्छाओं का पता हो तो आपको उन इच्छाओं का पालन करना चाहिए। योग्य व्यक्ति की इच्छाएं हमेशा वैध रहती हैं भले ही बाद में वह व्यक्ति अयोग्य क्यों न हो जाए।

यदि किसी फैसले के बारे में व्यक्ति की इच्छाओं का पता न हो, तो आपको उसके ज्ञात मूल्यों और धारणाओं का ध्यान रखना चाहिए। आपको यह भी विचार करने की आवश्यकता हो सकती है कि प्रस्तावित देखभाल विकल्प उसके सर्वोत्तम हित में है या नहीं। इसके लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि:

- प्रस्तावित देखभाल से उसके स्वास्थ्य में सुधार आने की संभावना है,
- प्रस्तावित देखभाल के बिना भी उसके स्वास्थ्य में सुधार आने की संभावना है,
- प्रस्तावित देखभाल के लाभ, हानि से अधिक हैं, तथा
- उपचार के लिए किसी कम प्रतिबंध और हस्तक्षेप करने वाली देखभाल व्यक्ति के लिए उतनी ही लाभकारी है।

याद रखें: आपको यह अकेले नहीं करना है। आपके पास उन व्यक्तियों से भी बात करने का विकल्प है जो उस व्यक्ति की इच्छाओं को भी जानते हैं। उन लोगों से परामर्श करने की आज्ञा मांगें जिन पर आप दोनों विश्वास करते हैं।



4 आपके अधिकार

प्रतिनिधि होने के रूप में, आपको अधिकार है कि:

- **जिस व्यक्ति का आप प्रतिनिधित्व करते/करती हैं, उसके साथ बात करें।** आपको उसको मिलने और उसके साथ बात करके यह पता लगाने का पूरा अधिकार है कि वह क्या चाहता/चाहती है और वह कैसे/कैसी है।
- **जानकारी प्राप्त करें -** आपके अधिकार क्षेत्र से संबंधित आपको वह जानकारी प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना उस व्यक्ति को, जिसने आपको चुना है। इसका अर्थ है कि वयस्क के हेल्थ-केयर प्रोवाइडर को आपके द्वारा पूछे गए स्वास्थ्य, पूर्वानुमान और उपचार के विकल्पों के बारे में आपके आवश्यक प्रश्नों का जवाब देना होगा। यह आपको एक सूचित फैसला लेने में सहायता कर सकता है।
- **खर्च का भुगतान** उस व्यक्ति से प्राप्त करें जिसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे/रहीं हैं। (या उस व्यक्ति से जो उसके धन का लेखा-जोखा रख रहा है) यदि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उचित खर्च करते/करती हैं तो आपको इसको वापस लेने का भी पूरा अधिकार है। अपने खर्च और भुगतान का हिसाब रखें।
- **सहायता और सलाह लें -** आप अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए किसी की सहायता और सलाह सेवाएं ले सकते/सकती हैं।
- **उत्तरदायित्व से बचें -** जब तक आप प्रतिनिधित्व समझौते में दिए गए अपने कर्तव्यों या आवश्यकताओं का पालन करते/करती हैं, तब तक आप कानूनी रूप से त्रुटियों या क्षति के उत्तरदायी नहीं हो सकते/सकती हैं।
- **अपनी भूमिका को त्यागना -** आप प्रतिनिधि या वैकल्पिक प्रतिनिधि की भूमिका को त्याग करने का फैसला ले सकते/सकती हैं। यदि आप ऐसा करते/करती हैं तो आपको इसे वैध बनाने के लिए प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। यह नोटिस देकर किया जाता है। आप यहां **प्रतिनिधि या वैकल्पिक प्रतिनिधि की भूमिका को त्याग करने के बारे में** और जानकारी ले सकते/सकती हैं।



5 आपके उत्तरदायित्व

प्रतिनिधि होने के नाते:

- **आप उत्तरदायी होंगे** उस व्यक्ति के लिए जिसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे/रहीं हैं। आप उन अधिकारिक संगठनों के प्रति भी उत्तरदायी हो सकते/सकती हैं जो अयोग्य व्यस्क की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।
- **आपको सामान्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए योग्य होना चाहिए** और कानून के अनुसार व्यक्ति के हित के लिए पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। अच्छी बातचीत की कला इसमें लाभप्रद हो सकती है क्योंकि आपको अलग-अलग लोगों से अलग-अलग परिस्थितियों में बात करनी पड़ सकती है।
- **जिस व्यक्ति ने आपको चुना है, उसके लिए आपको वैकल्पिक निर्णयकर्ता बनने के योग्य होना चाहिए।** प्रतिनिधि के रूप में, आपको व्यक्ति की इच्छाओं का पालन करना चाहिए, जो उसने तब लिखी या दर्ज की थी, जब वह योग्य था/थी। यदि फैसला लेने की आवश्यकता है और व्यक्ति पूरी तरह योग्य नहीं है, जैसे डिमेंशिया के कारण, तब भी आपको उससे उसकी इच्छाओं के बारे में पूछना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी परिस्थितियों को कितनी अच्छी तरह समझता/समझती है। यदि उसकी इच्छाओं के बारे में जानकारी न हो, तो आपको उसके मूल्यों और धारणाओं के अनुरूप फैसला लेना चाहिए। हो सकता है कि उसके हित के लिए आपको अपनी राय पर विचार भी करना पड़ जाए।
- **उल्लेख रखें** - प्रतिनिधि के रूप में लिए गए फैसलों और कार्यों का उल्लेख रखें, उदाहरण के लिए किसी दस्तावेज या कॉपी में।
- **अपने अधिकार किसी को न सौंपें** - जिस व्यक्ति ने आपको नियुक्त किया है, उसके लिए आप किसी दूसरे को फैसला लेने के लिए नहीं कह सकते/सकतीं। परन्तु आप परिवारजनों या हेल्थ-केयर टीम से सहायता ले सकते/सकतीं हैं।
- **वयस्क की जानकारी गोपनीय रखें** - जब तक आवश्यक न हो, तब तक आप वयस्क की निजी जानकारी गोपनीय रखें, जैसे अपने कार्यों को पूरा करने या किसी सरकारी अधिकारी/न्यायालय द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रदान करने के समय।

यह दस्तावेज एन्हेंस्ड प्रतिनिधित्व समझौते (सेक्शन 9 समझौता) के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करता है और यह जानकारी विशेष रूप से ब्रिटिश कोलंबिया, कैनेडा में रहने वाले लोगों के लिए है। यहां दी गई जानकारी कोई कानूनी सलाह नहीं है।

यह जानकारी पारम्परिक चीनी भाषा, सरल चीनी भाषा और पंजाबी भाषा में भी उपलब्ध है। [Hyperlink]

प्लानिंग करने के दूसरे साधनों, जिसमें स्टैंडर्ड प्रतिनिधित्व समझौता (सेक्शन 7 समझौता) और एन्ड्युरिंग पॉवर ऑफ अटॉर्नी भी शामिल है, के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए, ब्रिटिश कोलंबिया के पब्लिक गार्डियन और ट्रस्टी के इस स्रोत को देखें:

It's your choice - personal planning tools.

यह दस्तावेज ब्रिटिश कोलंबिया में बीसी सेंटर फॉर पैलीएटिव केयर, जो एक लाभ-निरपेक्ष संगठन है, द्वारा तैयार किया गया है। हमसे office@bc-cpc.ca ईमेल पर संपर्क करें।

कानूनी प्रामाणिकता के लिए इसकी समीक्षा निम्नलिखित द्वारा की गई है:
करिस्टा जेम्स, नेशनल डायरेक्टर, कैनेडियन सेंटर फॉर ऐल्डर लॉ एंड स्टाफ लॉयर, बीसी लॉ इंस्टिट्यूट। मार्च 2021।

इस दस्तावेज की प्रस्तुति हेल्थ कैनेडा से प्राप्त आर्थिक सहायता से संभव हुई है।

इस कार्य को निम्नलिखित द्वारा लाइसेंस प्राप्त है:
क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन-नॉन-कमर्शियल-नोडेरिवेटिव्स 4.0 इंटरनेशनल लाइसेंस

Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 International License.